

कार्यालय कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, कटनी

पत्र क्र. 308.2...../कार्य/2021

कटनी, दिनांक 10/11/21

प्रति,

वनमण्डलाधिकारी
सामान्य वन मण्डल कटनी


विषय :- जिला कटनी के अंतर्गत सिहुड़ी टैंक परियोजना के निर्माण हेतु 7.45 हेक्ट. वन भूमि जल संसाधन विभाग को उपयोग पर देने बावत्।

- संदर्भ :-
1. भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय का पत्र क्र. 6-एमपीसी044/2021-बीएचओ/दिनांक 20.07.2021
 2. आपका पत्र क्र. मा.चि./4093/ कटनी दिनांक 26.07.2021
 3. इस कार्यालय का पत्र क्र. 2874/कार्य/2021-22, कटनी दिनांक 18.10.2021
 4. इस कार्यालय का पत्र क्र. 2946/कार्य/2021, कटनी दिनांक 26.10.2021

—000—

विषयांतर्गत लेख है कि, संदर्भित पत्र क्र. 3 के तहत रु. 10568832/- केम्पा मद में ई घालान क्र. 5721268987 के माध्यम से जमा किये जा चुके हैं। विदोहन की राशि समन्वयक म.प्र. शासन वन विभाग भोपाल से चर्चानुसार जल संसाधन विभाग द्वारा जमा नहीं की जाती है। अतः भारत सरकार द्वारा मांगा गया ए एवं बी शर्तों का पालन प्रतिवेदन वचन पत्र सहित संलग्न कर आपकी ओर अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

सहपत्र - पालन प्रतिवेदन, वचन पत्र संलग्न


(जे.पी.बघेल)
कार्यपालन यंत्री
जल संसाधन संभाग कटनी

कार्यालय कार्यपालन यंत्रि, जल संसाधन संभाग कटनी (म.प्र.)

**सिहुड़ी जलाशय योजना का डूब क्षेत्र की वन भूमि 7.45 हेक्टर की
द्वितीय चरण की स्वीकृति हेतु पालन प्रतिवेदन**


स.क्र.	शर्तों की कंडिका	पालन प्रतिवेदन	टिप्पणियाँ
	(A) Condition which need to be complied prior with handing over of forest land by the State Forest Department.		
3.	The State Government shall charge the Net Present Value (NPV) for the 7.45 ha forest area to be diverted under this proposal from the User Agency as per the order of the Hon'ble Supreme Court of India dated 30/10/2002, 01/08/2003, 28/03/2008, 24/04/2008 and 09/05/2008 in IA No. 566 in WP (C) No. 202/1995 and as per the guidelines issued by the this Ministry vide its letter No. 5-1/1998-FC (Pt.II) dated 18/09/2003, as well as letter No. 5-2/2006-FC dated 03/10/2006 and 5-3/2007-FC dated 05/02/2009 in this regard.	वचन पत्र संलग्न है।	
4.	All the funds received from the user agency under the project shall be transferred / deposited in CAMPA fund only through e-portal (https://parivesh.nic.in/).	वचन पत्र संलग्न है।	
8.	Violation of any of these conditions will amount to violation of Forest (Conservation) Act, 1980 and action would be taken as prescribed in para 1.21 of Chapter 1 of the Handbook of Comprehensive Guidelines of Forest (Conservation) Act, 1980 as issued by this Ministry's letter No. 5-2/2017-FC dated 28.03.2019.	वचन पत्र संलग्न है।	
	(B) Condition which need to be strictly complied on field after handing over of forest land to the User Agency by the State Forest Department but the compliance in form of undertaking shall be submitted prior to Stage-II approval :		
1.	Legal status of the forest land shall remain unchanged.	वचन पत्र संलग्न है।	
2.	The project shall be treated as block project.	वचन पत्र संलग्न है।	
3.	Compensatory afforestation shall be taken up by the Forest Department over 14.90 ha. Revenue forest land (Survey No. 280/02. Village - Chhapra, Tehsil Range- Bahoriband, District- Katni, Madhya Pradesh at the cost of the user agency. As far as possible a mixture of local native species shall be planted and monoculture of any species, especially non-native species should be avoided.	वचन पत्र संलग्न है।	
4.	Additional amount of the NPV of the diverted forest land, if any, becoming due after finalization	वचन पत्र संलग्न है। विशेष की राशि समन्वयक म.प्र.	

(Signature)

शर्त क्र. A – (3)

The State Government shall charge the Net Present Value (NPV) for the 7.45 ha forest area to be diverted under this proposal from the User Agency as per the order of the Hon'ble Supreme Court of India dated 30/10/2002, 01/08/2003, 28/03/2008, 24/04/2008 and 09/05/2008 in IA No. 566 in WP (C) No. 202/1995 and as per the guidelines issued by the this Ministry vide its letter No. 5-1/1998-FC (Pt.II) dated 18/09/2003, as well as letter No. 5-2/2006-FC dated 03/10/2006 and 5-3/ 2007-FC dated 05/02/2009 in this regard.

उपयोगकर्ता एजेंसी/ विभाग जल संसाधन संभाग कटनी उल्लेखित शर्त के पालन हेतु वचनबद्ध है।



कार्यपालन यंत्री
जल संसाधन संभाग
कटनी

शर्त क्र. A – (4)

All the funds received from the user agency under the project shall be transferred / deposited in CAMPA fund only through e-portal (<https://parivesh.nic.in/>).

प्राप्त निर्देशानुसार उक्त राशि म.प्र. कैम्पा फण्ड में ई-चालान (क्र. 5721268987) के माध्यम से ई-चेक क्र. W 200518894 दिनांक 12.10.2021 के द्वारा राशि रुपये 1,05,68,832.00 (एक करोड़ पाँच लाख अड़सठ हजार आठ सौ बत्तीस रु.) की राशि जमा कराई जा चुकी है।


उपयोगकर्ता एजेंसी/ विभाग जल संसाधन संभाग कटनी उल्लेखित शर्त के पालन हेतु वचनवद्ध है।


कार्यपालन यंत्री
जल संसाधन संभाग
कटनी

शर्त क्र. A – (8)

Violation of any of these conditions will amount to violation of Forest (Conservation) Act, 1980 and action would be taken as prescribed in para 1.21 of Chapter 1 of the Handbook of Comprehensive Guidelines of Forest (Conservation) Act, 1980 as issued by this Ministry's letter No. 5-2/2017-FC dated 28.03.2019.


उपयोगकर्ता एजेंसी/ विभाग जल संसाधन संभाग कटनी उल्लेखित शर्त के पालन हेतु वचनवद्ध है।


कार्यपालन यंत्री
जल संसाधन संभाग
कटनी

शर्त क्र. B – (1)

Legal status of the forest land shall remain unchanged.


उपयोगकर्ता एजेंसी/ विभाग जल संसाधन संभाग कटनी उल्लेखित शर्त के पालन हेतु वचनवद्ध है।


कार्यपालन यंत्री
जल संसाधन संभाग
कटनी

शर्त क्र. B – (4)

Additional amount of the NPV of the diverted forest land, if any, becoming due after finalization of the same by the Hon'ble Supreme Court of India on receipt of the report from the expert Committee, shall also be charged by the State Government from the User Agency. The User Agency shall furnish an undertaking to this effect.

उपयोगकर्ता एजेंसी/ विभाग जल संसाधन संभाग कटनी उल्लेखित शर्त के पालन हेतु नियमानुसार (विदोहन की राशि समन्वयक म.प्र. शासन वन विभाग भोपाल से चर्चानुसार जल संसाधन विभाग द्वारा जमा नहीं की जाती है।) वचनवद्ध है।


कार्यपालन यंत्री
जल संसाधन संभाग
कटनी

शर्त क्र. B – (5)

User Agency shall restrict the felling of trees to 136 numbers / minimum number in the diverted forest land and the trees shall be felled under the strict supervision of the State Forest Department and the cost of felling of trees shall be deposited by the User Agency with the State Forest Department.

उपयोगकर्ता एजेंसी/ विभाग जल संसाधन संभाग कटनी उल्लेखित शर्त के पालन हेतु नियमानुसार (विदेहन की राष्ट्रिय समन्वयक म.प्र. शासन वन विभाग भोपाल से चर्चानुसार जल संसाधन विभाग द्वारा जमा नहीं की जाती है।) वचनबद्ध है।



कार्यपालन यंत्री
जल संसाधन संभाग
कटनी

शर्त क्र. B – (6)

The boundary of the diverted forest land shall be suitably demarcated on ground at the project cost, as per the directions of the concerned Divisional Forest Officer.

उपयोगकर्ता एजेंसी/ विभाग जल संसाधन संभाग कटनी उल्लेखित शर्त के पालन हेतु वचनबद्ध है।




कार्यपालन यंत्री
जल संसाधन संभाग
कटनी

शर्त क्र. B – (7)

The layout plan of the proposal shall not be changed without prior approval of Central Government.


उपयोगकर्ता एजेंसी/ विभाग जल संसाधन संभाग कटनी उल्लेखित शर्त के पालन हेतु वचनवद्ध है।


कार्यपालन यंत्री
जल संसाधन संभाग
कटनी

शर्त क्र. B – (8)

No Labour camp shall be established on the forest land.


उपयोगकर्ता एजेंसी/ विभाग जल संसाधन संभाग कटनी उल्लेखित शर्त के पालन हेतु वचनवद्ध है।


कार्यपालन यंत्री
जल संसाधन संभाग
कटनी

शर्त क्र. B – (9)

The User Agency shall provided alternate fuels preferably LPG to the labourers and the staff working at the site so as to avoid any damage and pressure on the nearby forest areas.


उपयोगकर्ता एजेंसी/ विभाग जल संसाधन संभाग कटनी उल्लेखित शर्त के पालन हेतु वचनबद्ध है।


कार्यपालन यंत्री
जल संसाधन संभाग
कटनी

शर्त क्र. B – (10)

The period of diversion under this approval shall be co-terminus with the period of the project life.

उपयोगकर्ता एजेंसी/ विभाग जल संसाधन संभाग कटनी उल्लेखित शर्त के पालन हेतु वचनवद्ध है।


कार्यपालन यंत्री
जल संसाधन संभाग
कटनी

शर्त क्र. B – (11)

The forest land shall not be used for any purpose other than that specified in the project proposal.

उपयोगकर्ता एजेंसी/ विभाग जल संसाधन संभाग कटनी उल्लेखित शर्त के पालन हेतु वचनबद्ध है।



कार्यपालन यंत्री
जल संसाधन संभाग
कटनी

शर्त क्र. B – (12)

The forest land proposed to be diverted shall under no circumstances be transferred to any other agencies, department, or person without prior approval of Central Government.

उपयोगकर्ता एजेंसी/ विभाग जल संसाधन संभाग कटनी उल्लेखित शर्त के पालन हेतु वचनबद्ध है।



कार्यपालन यंत्री
जल संसाधन संभाग
कटनी

शर्त क्र. B – (13)

Any other condition that the Ministry of Environment, Forest & Climate Change may stipulate from time to time in the interest of conservation, protection and development of forest & wildlife.

उपयोगकर्ता एजेंसी/ विभाग जल संसाधन संभाग कटनी उल्लेखित शर्त के पालन हेतु वचनबद्ध है।



कार्यपालन यंत्री
जल संसाधन संभाग
कटनी